बाल संरक्षण को सशक्त करने हेतु मिशन वात्सल्य योजनार्न्तगत गठित बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की भूमिका एवं कार्य दायित्व हेतु प्रशिक्षण माड्यूल

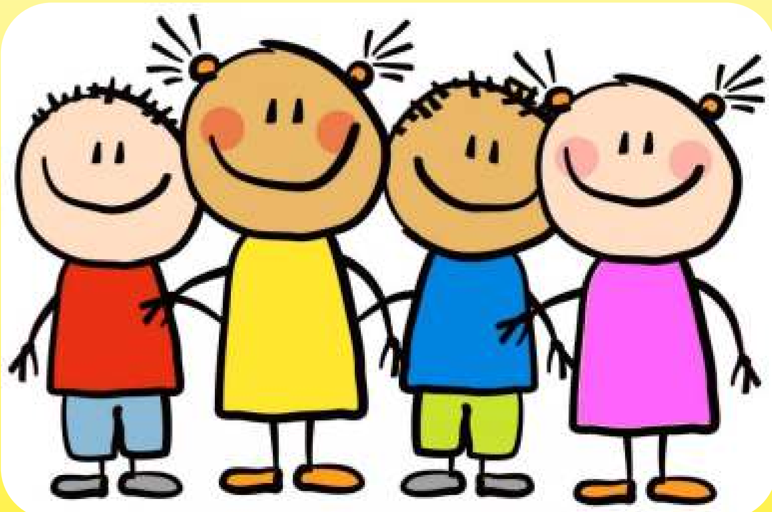

द्वारा – **रोजा संस्थान,** वाराणसी, उ0प्र0

– सहयोग –

महिला एवं बाल विकास विभाग

बलरामपुर, उ0प्र0

संस्था प्रमुख, रोजा संस्थान, वाराणसी का संदेश

शुभ संदेश

विगत 25 सालो सें मानव सेवा मे समर्पित संस्था उत्तर प्रदेश के कई जिलों मे समाज के जरूरतमंदों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रयासरत् है। संस्था का मुख्य उद्धेश्य समाज के उस दर्पण को स्वच्छ रूप मे प्रस्तुत करना है जो पिछले कई दशकों से सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं व कुप्रथाओं के कारण धूमिल है। हमारा उद्धेश्य देश के भविश्य कहे जाने वाले उन बच्चों से है जो आर्थिक सामाजिक व व्यक्तिगत कारणों से वांछित मौलिक अधिकारों को प्राप्त नही कर पा रहे है।

इन्ही मौलिक उद्धेश्यो को लेकर संस्था द्वारा बाल संरक्षण को सशक्त करने हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है, जो कि निश्चित रूप से समाज ही नही अपितु देश के भविश्य को सजाने, संवारने व सक्षम बनाने का कार्य करेगी।

यह माड्यूल पूरी तरह से विचार–विमर्श व समुदाओ के सूक्ष्म अवलोकन उपरान्त तैयार की गयी। माड्यूल की तैयारी मे मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के नोडल अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सतीश चन्द्र का मार्गदर्शन व सहयोग रहा है। इसके लिए संस्था हृदय से आभार प्रकट करती है।

साथ ही बाल संरक्षण प्रशिक्षण माड्यूल के प्रकाशन मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुडे सभी साथियों व शुभचितंको का **"ROSA"** परिवार की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते है।

सदैव बाल हितो की रक्षा मे तत्पर......................

शुमकामनाओं सहित.......

(मुश्ताक अहमद)
मुख्य कार्यकारी
"ROSA" संस्थान
ककरमत्ता बी0एल0डब्लू
वाराणसी, 221004।

संदेश

सुशील कुमार सिंह
जिला प्रोबेशन अधिकारी/
जिला बाल संरक्षण अधिकारी
बलरामपुर, उ0प्र0।

बाल संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र मानवीय सन्दर्भ में आवश्यक और पूरक भूमिका निभाते है। बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण हम सभी का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। रोजा संस्थान, बलरामपुर द्वारा तैयार मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गठित ग्राम व ब्लॉक स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के सदस्यों के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल पथ प्रदर्शिका का काम करेगी।

शुभकामनाओं सहित।

दिनांक– 12 नवम्बर, 2025

(सुशील कुमार सिंह)
जिला प्रोबेशन अधिकारी
बलरामपुर।

रोजा संस्थान वाराणसी का एक संक्षिप्त परिचयः–

Rural Organization for Social Advancement "ROSA" - एक समाज सेवी संस्था है, संस्था उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विगत 20 वर्षो से जनहित में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। संस्था निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा जागरूकता, आजीविका हेतु सहायता, बाल संरक्षण पर बचावात्मक पहल, राहत सहायता, बालिका एवं महिला विकास और कोविड टीकाकरण जागरूकता आदि के मुद्दें पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। संस्था स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित विभागों के साथ साख्य, संवाद व सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समन्वयन के साथ संस्थागत गतिविधियों का संचालन करती आ रही है।

संस्था का विजन– समतामूलक समाज की आकांक्षा

संस्था का मिशन– सामाजिक विकास और समाज कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु समाज के अति गरीब व्यक्ति, परिवार व समुदाय की विकास प्रकिया।

संस्था का उद्देश्य–

1. सदभावी आत्मनिर्भर समाज व राष्ट्र का निर्माण करना।
2. लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, परिवार कल्याण का प्रचार–प्रसार करना, लोक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रभावी रचनात्मक प्रयास करना।
3. कृषि, पशुपालन, विज्ञान, पर्यावरण, ग्रामीण तकनीकि व गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोतो का संरक्षण संवर्धन व समुचित उपयोग को बढ़ावा देना।
4. पारम्परिक लोक कलाओं व विधाओं के संरक्षण, संवर्धन व जनहित मे सदूपयोग को बढ़ावा देना।
5. देश के समग्र विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन आर्येपार्जन व कृषि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना और बढावा देना।
6. समाज के महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगो, असहायों, अनुसूचित जातिओं, अनुसूचित जनजातियों, पिछडों, अल्पसंख्यक के सहायतार्थ कार्य करना।
7. समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाना व स्वैच्छिक कार्यो को बढावा देना।
8. संस्था के कार्यक्रम क्रियान्वयन, शोध, अभिलेखीकरण, निःशुल्क प्रकाशन, प्रशिक्षण व दस्तावेजीकरण करने के लिए केंन्द्रो की स्थापना करना।
9. खादी व ग्रामोद्ययोग के विकास व प्रचार–प्रसार को बढावा देना।
10. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समान उद्देश्यों वाले स्थानीय लोगों, सरकारी, गैर–सरकारी राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आवश्यक संसाधनों का आदान–प्रदान व सहयोग करना।
11. स्थानीय लोक परम्परा, संस्कृति व विचारों का सम्मान करना व संरक्षण देना।

संस्था का विजन– खुशहाल समाज का सम्पूर्ण विकास तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक सदस्य खुशहाल हो।

संस्था का सिद्धान्त– हर स्तर पर लोक तांत्रिक प्रकिया का अनुपालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के एक दुसरे का सम्मान करना और बिना किसी धर्म, जाति और लैगिंक पूर्वाग्रह के, हर स्तर पर सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। संस्था का मानना है कि जरूरतमंद लोगो की इस प्रकार मदद किया जाए, कि वे अपनी मदद स्वंय से कर सकें।

संस्था का मूल्य– समाज के हर स्तर पर एक दूसरे का सम्मान करना, समानता की भावना, समान अवसरों की उपलब्धता, विकास कार्यो मे पारदर्शिता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी की निर्वहन करना।

संस्था की कार्यनीति– प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहिंसा के मार्ग से सामूहिक निर्णय एवं सामूहिक पहल को बढाना।

संस्था की प्रकृति– भारत के संविधान की शक्ति के तहत एक गैर–राजनीतिक व सामाजिक संस्था।

प्रस्तावना–

ग्रामीण समुदाय मे प्रचालित बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण जैसे कुप्रथाओं की सामाजिक स्वीकृति तथा बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड एवं दुर्व्यहार की स्वीकार्यरता जैसी हानिकारक सामाजिक लोकप्रथा एवं रीति–रिवाज, धार्मिक मान्यताएं एवं सांस्कृतिक दस्तूर बच्चों के शारीरिक, ज्ञानबोध एवं सामाजिक विकास को गंभीर नुकसान पहुॅचाता है। इसलिए इन प्रचलित मान्यताओं को कमिक रूप से त्याग करने के लिए जहां एक ओर स्थानीय समुदाय एवं स्थानीय शासन–प्रशासन की संस्थाओं को सहयोग की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर उन्हें खुद भी ऐसी प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय समुदाय की संसाधनों का परिचित्रण करने , निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग इत्यादि जैसे कार्यो में स्वतः– स्फूर्त सहभागिता हो । इन सब के अपेक्षित परिणाम के रूप में एक न्यायसंगत माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा। ताकि विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए संरक्षण एवं हिंसा रहित बचपन की परिकल्पना साकार हो।

बाल संरक्षण के विषय पर किशोर न्याय(बालकों की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम 2015, के प्रावधानों के अनुसार देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विरूद्ध कार्यो मे लिप्त बच्चों के संरक्षण कल्याण एवं पुर्नवासन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना दिनांक 24.11.2010 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2017–18 में उक्त योजना का नाम परिवर्तित करते हुए बाल संरक्षण योजना कर दिया गया तथा वर्ष 2022–2023 में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को मिशन वात्सल्य योजना के नाम से संचालित किए जाने हेतु निर्णय लिया गया जिसके अर्न्तगत नवीन शासनादेश के अनुसार मिशन वात्सल्य के सुचारू एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन किया गया है।

उद्देश्य

यह समितियों की परिकल्पना बाल संरक्षण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली समस्याओं पर विचार करने एवं उनका स्थानीय समाधान तलाशने के मंच में अहम भूमिका अदा करने वाली इकाई के रूप में कि गयी है जो कि मिशन वात्सल्य के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षाणत्मक परिवेश का निर्माण, उचित पालन पोषण करने, परिवार आधारित देख–रेख, प्रतिष्ठा के साथ रहने, बच्चों को हिंसा व दुर्व्यहार से बचाने के उदे्श्य से ब्लाक, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों का गठन किया गया है।

मिशन वात्सल्य

मिशन वात्सल्य "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय", भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। जिसका लक्ष्य बच्चों के कल्याण और पुर्नवास के लिये एक संवेनशील और और सर्मथनकारी माहौल बनाना है। इस योजना के तहत बच्चों के स्वस्थ और खुशहाल बचपन को सुनिश्चित करना है।

मिशन वात्सल्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओ को प्राप्त करने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

मिशन वात्सल्य "कोई बच्चा पीछे न छूटे" के आदर्श वाक्य के साथ किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर जोर देता है। अर्थात देश के प्रत्येक बच्चे को सार्वभौमिक तौर पर सुरक्षित रखा जाये।

मिशन वात्सल्य का प्रमुख उद्देश्य-

- मिशन के अंतर्गत सभी गतिविधियों और कार्यवाही के दौरान बच्चों को केन्द्रीय महत्व देते हुए प्रशासन की योजनाओं में बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों को डिजाइन या वितरित करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना और परिवारों को समर्थन देने के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल के साथ खुशहाल पारिवारिक वातावरण में बढ़ने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना।
- बच्चों के जीवनयापन, विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आवश्यक सेवाएं स्थापित करना तथा आपातकालीन पहुंच, परिवार और समुदाय के भीतर गैर–संस्थागत देखभाल, तथा संस्थागत देखभाल, परामर्श और सहायता सेवाओं को मजबूत करना।
- सभी स्तरों पर उचित अंर्त–क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, बच्चों को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए सम्मिलित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सभी संबद्ध प्रणालियों के साथ समन्वय और नेटवर्क बनाना।
- परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूत करना, परिवारों और समुदायों को बच्चों को प्रभावित करने वाले जोखिमों और कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम बनाना और बच्चों को कमजोरियों, जोखिम और दुर्व्यवहार की स्थितियों से बचाने के लिए निवारक उपायों को बनाना और बढ़ावा देना।
- कानून के ढांचे के भीतर बच्चों का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना।
- जन जागरूकता बढ़ाना, बाल अधिकारों, सरकार द्वारा प्रायोजित सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने में सभी स्तरों पर समुदाय को हितधारक के रूप में शामिल करना।
- सभी स्तरों पर कर्तव्य धारकों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना।
- सुपरिभाषित आउटपुट और परिणामों के आधार पर वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर प्रगति की निगरानी करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर पर, शहरी नगरपालिका वार्ड के भीतर वार्ड और शहरी क्लस्टर स्तर पर स्थानीय निकायों की भागीदारी, ध्यान देने योग्य मुद्दों का निरंतर मूल्यांकन, उचित हस्तक्षेपों का क्रियान्वयन और बच्चों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल विकसित करने के लिए नियमित निगरानी करना।

बच्चा :

- किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा कहलाता है।

बाल संरक्षण :

- बाल संरक्षण से तात्पर्य 0 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को हिंसा, शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा व दुर्व्यवहार से सुरक्षित करना है ।
- बाल अधिकारो को संरक्षित करने एवं बच्चों के सर्वागीण विकास के साथ–साथ सर्वोत्तम बाल हित को सुनिश्तिच करना भी बाल संरक्षण है।

बाल संरक्षण के विभिन्न पहलू :

बाल विवाह से सुरक्षा

बाल श्रम से सुरक्षा

बाल यौन शोषण से सुरक्षा

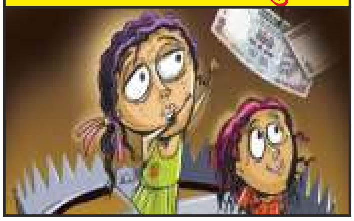

बाल तस्करी से सुरक्षा

देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चे (CNCP):

- बेघर बच्चे
- विस्थापित और शरणार्थी बच्चे
- प्रवासी बच्चे
- अनाथ एवं परित्यक्त बच्चे
- बाल श्रम करने वाले बच्चे
- संघर्ष एवं युद्ध से प्रभावित बच्चे
- एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे
- लाईलाज बीमारी से ग्रसित बच्चे
- दिव्यांग बच्चे
- अन्य बच्चे जो शोषण कारी परिस्थितियों में हैं

बाल अधिकार :

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) में वर्णित 54 बाल अधिकारों को निम्नलिखित चार मुख्य अधिकारों में एकीकृत किया गया है। ये अधिकार एक दूसरे से अलग नही, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए है और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं।

बच्चों मुख्य अधिकार

जीने का अधिकार
प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापुर्ण जीवन जीने का अधिकार है।
माता–पिता और सरकार उन्हे बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए बाध्य है।

सहभागिता का अधिकार
बच्चों को अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन से सम्बंधित निर्णयों में बच्चों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय में भाग लेने का अधिकार है।

विकास का अधिकार
प्रत्येक बच्चों को हर तरह से अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का अधिकार है।

संरक्षण का अधिकार
बच्चों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शारीरिक या भावनात्मक हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है।

बच्चो के अधिकारों के उल्लंघन से सम्बंधित कृत्य एवं बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की भूमिका

बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को हर समय सतर्क और दक्ष रहने की आवश्यक्ता है। बाल अधिकारों से संबधित कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना इस समिति का उत्तरदायित्व है। समिति को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के जरूरत है। भौगोलिक स्थिति–परिस्थितियों और लोगो के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन समितियों को समुचित पहल एवं जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।

बाल विवाह रोकथाम : बाल विवाह के बारे मे सूचना मिलते ही समिति को एक आपातकालीन बैठक बुलानी चाहिए और संभावित हस्तक्षेपों पर विचार–विमर्श करना चाहिए जो इसे रोक सकते है। बाल विवाह की विशेष जानकारी बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्डलाइन (1098), खण्ड विकास अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को तत्काल दी जाए। बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के सभी सदस्यो को सामूहिक रूप से भी उस स्थान पर जाकर बाल विवाह को रोकने का प्रयास करना चाहिए।

बाल श्रम रोकथाम : जब बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को सूचना मिलती है कि बच्चों को काम पर लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले पुलिस, श्रम विभाग और पंचायती राज के अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और उस स्थान पर ले जाया जाना चाहिए जहाँ बच्चे कार्यरत हैं। बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हो और बच्चों के पुर्नवास और स्कूल में फिर से भर्ती कराने की प्रक्रिया का पालन करें।

शिक्षा को बढ़ावा देना : शिक्षा के महत्व को लेकर माता–पिता के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए, उनके समक्ष ऐसे उदाहरण साझा करने चाहिए जिनमें गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों ने शिक्षा के बल पर सशक्त बन समाज में बेहतर स्थान प्राप्त किया है। उन्हें शिक्षा के अधिकार के बारे में शिक्षित करते हुए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि 06 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल जाना चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूलों में दोबारा दाखिल कराया जाना चाहिए और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए परामर्श देना चाहिए।

यौन शोषण से सुरक्षा : जब भी किसी यौन शोषण की घटना की सूचना दी जाती है या प्रकाश में आती है, तो तुरंत पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी और जिले के बाल कल्याण समिति में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। वैद्यानिक कार्यवाही, क्षतिपूर्ति, गवाह की सुरक्षा इत्यादी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बीच, यौन शोषण पीडितों के नाम और पहचान को गोपनीय रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

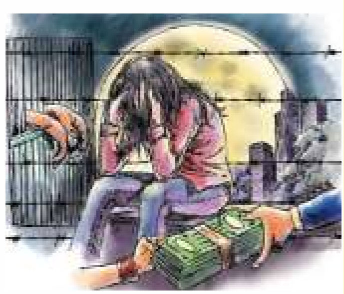

बच्चों की तस्करी से सुरक्षा : बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को बच्चों के तस्करी और इसके खतरों के बारे में गांव में जागरूकता बढ़ाने की में काम करना चाहिए। बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को गाँव में आने वाले अजनबियों और नए परिवारों पर नज़र रखनी चाहिए। काम के लिए बाहर गए परिवारों के बारे में नियमित रूप से जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। गांव से कोई बच्चा गायब हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। साथ ही बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति गाँव के जरूरतमंद परिवारों की पहचान करें और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का हर संभव प्रयास करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे।

लिंग भेदभाव रोकथाम : बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को जेण्डर आधारित भेदभाव के बारे में गांव में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि इस तरह का भेदभाव कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है। गाँव में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ कभी भी उसकी जाति, धर्म या जेण्डर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि माता–पिता द्वारा इस तरह का कोई भेदभाव होता है, तो बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के किसी भी सदस्य से शिकायत करने के लिए उन्मुख होना चाहिए।

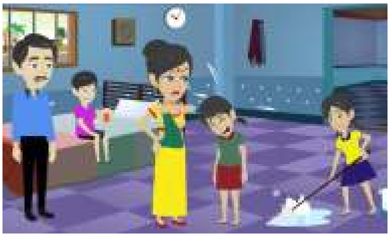

बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के लिए आर्दश आचार संहिता

क्या करें।	क्या न करें।
बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें	बच्चों से व्यस्को के लिये निर्धारित कार्य नही कराना चाहिए
बच्चों के लिये सम्भावित समस्याओं को पहचानें	निजी कामों के लिये बच्चों का इस्तेमाल नही करना चाहिए
बाल अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हों और उनका पालन करें	बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार, उत्पीड़न एवं शोषण नही करना चाहिए
बच्चों की समस्या का पूर्ण समाधान होने पर तुरन्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए	बाल विवाह का सर्मथन कदापि न करें
बच्चों की समस्या का पूर्ण समाधान होने तक प्रयास करते रहे	जति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर बच्चों से भेदभाव न करें।
बच्चे और उनकी बातों को पूरी तरह से समझे उनके विचारो को धैर्यपूर्वक सुने	बल संरक्षण के मामलो में निष्पक्ष रूप से कार्य करें
पीड़ित बच्चे की पहचान को गोपनीय रखें।	किसी भी प्रकार के बाल अधिकार का उल्लंघन न करे।
समिति का बैठकों का आयोजन समय से करें और सभी सदस्य अवश्य भाग ले।	व्यक्तिगत लाभ के लिये समिति का उपयोग न करे।
समिति में प्रस्तुत समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुने।	जब मीटिंग चल रही हो तो बच्चों (समिति के सदस्य) को अकेले बाहर या एकांत में न ले जाये।
बैठक में हुई मुख्य चर्चाओं एवं निर्णयों का सही से दस्तावेजीकरण करते हुये उनका कियान्वयन सुनिश्चित करे।	बच्चों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरे न लें। 18 वर्ष से कम आयु की अवस्था में अभिभावकों से अनुमति लेनी चाहिये।

ग्राम स्तर पर पंचायत डायरी/रजिस्टर बनाना

ग्राम बाल कल्याण संरक्षण समिति को गांव में 0–18 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को डेटा/रिकार्ड के लिये पंचायत रजिस्टर बनाना चाहिये, जिससें गांव में प्रत्येक बच्चों का ट्रैकिंग किया जा सके और बच्चों के लिये समिति द्वारा योजना बनाया जा सके।

समितियों की संरचना

- **जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समितिः**—जिला स्तर योजना के संचालन, मानिटरिंग एवं समीक्षा किये जाने हेतु जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
4	आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहरी एवं स्थानीय निकाय	सदस्य
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/ग्राम्य विकास अधिकारी	सदस्य
6	मुख्य चिकित्साधिकारी/सिविल सर्जन	सदस्य
7	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
8	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
9	जिला क्रिड़ा अधिकारी	सदस्य
10	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11	परियोजनाधिकारी एकीकृत अदिवासी विकास परियोजना	सदस्य
12	जिला कौशल विकास अधिकारी	सदस्य
13	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
14	जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/मुख्यालय के बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
15	कोई अन्य विशेषज्ञ, सांविधिक निकाय विभाग	चयनित सदस्य

- **ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति।**

1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	खण्ड विकास अधिकारी	सचिव
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
4	सहायक पंचायत अधिकारी पंचायती राज	सदस्य
5	संरक्षण अधिकारी(संस्थानिक/गैर—संस्थानिक)	सदस्य
6	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी	सदस्य
8	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित क्षेत्रीय प्रतिष्ठित बाल संरक्षण विशेषज्ञ अथवा बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठत स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी	सदस्य
9	विकासखण्ड स्थित थाने के बाल कल्याण अधिकारी	सदस्य

- **ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति।**

1	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	आगंनबाडी कार्यकत्री	सदस्य सचिव
3	ग्राम पंचायत अधिकारी	सदस्य सचिव
4	ए0एन0एम0	सदस्य
5	आशा कार्यकत्री	सदस्य
6	संबन्धित ग्राम सभा के प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक	सदस्य
7	ग्राम सभा के 02 सम्मानित अभिभावक(कम0 से कम 01 महिला	सदस्य
8	ग्राम सभा के दो बाल प्रतिनिधि	सदस्य

➢ ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के कार्य एवं दायित्व

- ब्लाक बाल संरक्षण समिति का शासनादेश के अनुसार गठन करना ।
- ब्लाक बाल संरक्षण समिति की नियमित त्रैमासिक बैठक आहूत करना ।
- ब्लाक बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का बाल संरक्षण के मुद्दे पर क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला आयोजित करना ।
- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सी0एन0सी0पी0) और कानून के उल्लंघन वाले बच्चों (सी0सी0एल0) के संदर्भ में बच्चों की आवश्यकता आंकलन और मानचित्रण (मैपिंग) करना।
- बाल संरक्षण के मुद्दों पर ग्राम बाल संरक्षण समिति और सरकारी विभाग की अन्य सामुदायिक स्तर की संरचनाओं/समितियों जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति (एस0एम0सी0), ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति (वी0एच0एन0एस0सी0), स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना ।
- बच्चों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दंड , बाल श्रम आदि को हतोत्साहित करना।
- आउट आफ़ स्कूल बच्चों को चिन्हित करना और माता–पिता के साथ मिलकर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने का प्रयास करना तथा इस विषय पर जागरूकता अभियान।
- जन्म पंजीकरण, आधार कार्ड पंजीकरण, स्कूल नामांकन, प्रवासी रजिस्टर रखरखाव आदि जैसी अच्छे अभ्यासों को बढ़ावा देना ।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा (बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी, दुर्व्यवहार और शोषण) के मामलों को रिपोर्ट करें और जरूरतमंद बच्चों को वित्तीय सहायता एवं अन्य आवश्यक सहायता हेतु उच्च स्तर के अधिकारियों जैसे जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा हेल्पलाइन नंबर जैसे कि चाइल्डहेल्पलाइन–1098, पुलिस–112, वीमेन पावर लाइन–1090 के पास रेफर करें ।
- स्थानीय स्तर पर बच्चों और किशोरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना ।
- बच्चों और किशोरों के मुद्दों पर समुदाय के सदस्यों/युवाओं को संगठित करना ।

➢ ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के कार्य एवं दायित्व

- जोखिम मे रहने वाले बच्चों का मानचित्रण (मैपिंग) करना और आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के लिए बच्चों की जरूरतों का आंकलन करना ।
- बच्चों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दडं , बाल श्रम आदि को हतोत्साहित करना ।
- बाल संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एवं जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0), सामुदायिक नेताओं, पंचायती राज संस्थानों (पी0आर0आई0) के सदस्यों, विद्यालय प्रबंधन समिति (एस0एम0सी0), ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति (वी0एच0एन0एस0सी0) आदि जैसे स्थानीय हितधारकों और कार्यकर्ताओं को शामिल करें ।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति और बच्चों से संबंधित अन्य रेफरल सेवाओं के बीच संबंध बनाए रखें
- स्पॉन्सरशिप, उत्तर प्रदेश मुख्यमत्री कन्या सुमगंला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री बाल विद्या

योजना बच्चों और महिलाओं से सम्बंधित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर माता–पिता और बच्चों का उन्मुखीकरण करना और सम्बंधित सरकारी विभागों के साथ जुड़ने को बढ़ावा देना

- आउट आफ़ स्कूल बच्चों को चिन्हित करना और जागरूकता अभियान चलाना और माता–पिता के साथ मिलकर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने का प्रयास करना ।

➢ बाल संरक्षण समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश

- यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष तत्काल सूचना पर आपात बैठक बुला सकते हैं ।
- अध्यक्ष/सदस्य एजेंडा में शामिल न किए गए किसी भी आवश्यक कार्य को बैठक के समक्ष रख सकते हैं ।
- सभी बाल संरक्षण समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए ।
- महिला एवं बाल विकास विभाग/ जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण इकाई बाल संरक्षण समिति से संबंधित कार्यों के सुचारू समन्वय और कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता (प्रशासनिक और वित्तीय सहित) प्रदान करेगा ।
- अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठकें बुला सकते हैं यदि कम से कम दो–तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध किया जाता है ।
- बैठक की अवधि समिति के समक्ष लंबित कार्य पर निर्भर करती है ।
- बाल संरक्षण समिति की बैठकों में बाल संरक्षण समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य होंगे और निर्णय उपस्थित लोगों के बहुमत से होगा । बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है।

➢ बच्चों के प्रतिनिधि/बाल भागीदारी

- बाल प्रतिनिधि गाँवों में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों, उपलब्धियों और बाल संरक्षण पर प्रमुख चिंताओं को प्रस्तुत करेंगे ।
- बाल प्रतिनिधि बाल संरक्षण के लिए गांवों में बच्चों के लिए शिक्षा की स्थिति, चुनौतियों और आवश्यकता को भी प्रस्तुत करेंगे ।
- बाल प्रतिनिधि ग्राम बाल संरक्षण समिति में कोई व्यक्तिगत मामला भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।
- यदि कोई बच्चा व्यक्तिगत मामलों को ब्लाक बाल संरक्षण समिति को साझा करना चाहता है, तो ऐसे मामलों में ग्राम बाल संरक्षण समिति से एक अनुमोदन पत्र की आवश्यकता होगी ।

➢ निगरानी तंत्र

- जिला बाल संरक्षण इकाई ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति एवं ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के लिए मानक रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित करेगा ।
- ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति प्रत्येक तिमाही में भरे हुए प्रारूप पर रिपोर्ट ब्लाक बाल संरक्षण समिति को भेजेगा ।
- ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति प्रत्येक 3 महीने में या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार रिपोर्ट प्रेषित करेंगे ।
- जिला बाल संरक्षण इकाई और प्राधिकरण बाल संरक्षण योजना पर चर्चा करने और उनका सहयोग करने के लिए गांव, ब्लाक का निगरानी विजिट करेंगे ।
- जिला बाल संरक्षण इकाई माइग्रेशन, चाइल्ड ट्रैकिंग और केस रिपोर्टिंग जैसे रिपोर्टिंग प्रारूपों पर विभिन्न बाल संरक्षण समितियों की क्षमता का निर्माण करेगा ।
- जिला बाल संरक्षण इकाई अद्यतन संपर्क सूची और उनकी योजना के साथ ग्राम बाल संरक्षण समिति और ब्लाक बाल संरक्षण समिति का रिकार्ड तैयार करेगा ।
- बाल संरक्षण समिति को कुशलता से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय–समय पर दौरा किया जाएगा ।
- बाल संरक्षण समिति से प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्रवाही और समय पर रेफरल सेवाओं के लिए किया जाएगा । आवश्यकता पड़ने पर गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है ।

➢ बाल संरक्षण समितियों द्वारा रिपोर्टिंग

- तिमाही प्रगति रिपोर्ट ब्लाक बाल संरक्षण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जानी चाहिए ।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट ब्लाक बाल संरक्षण समिति को भेजी जानी चाहिए।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति और ब्लाक बाल संरक्षण समिति के लिए डीसीपीयू द्वारा रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित किया जाएगा ।

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनायें

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना– प्रदेश मे समान लिंगानुपात स्थापित करने व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने , बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन मे सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्च 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमगंला योजना की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तगर्त देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है ।

पात्रता

1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ टेलिफोन का बिल मान्य होगा ।
2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख हो ।
3. किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा ।
4. लाभार्थी के परिवार मे अधिकतम दो बच्चे हो ।
5. किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी सन्तान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा । यदि किसी महिला पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाये ही होती हैं तो केवल ऐसे अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा
6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद ले लिया हो , तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप मे गोद ले ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी ।

लाभ की श्रेणियां

1. बालिका के जन्म होने पर रू0 5000/–एक मुश्त ।
2. बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त– रू0 2000/–एक मुश्त ।
3. कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त– रू0 3000/–एक मुश्त ।
4. कक्षा छः में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त– रू0 3000/–एक मुश्त ।
5. कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त– रू0 5000/– एक मुश्त ।
6. ऐसी बालिका जिन्होने 10 वीं कक्षा एवं 12वीं उतीर्ण करने के उपरान्त स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो,–को रू0 7000/– एक मुश्त।

उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)–उत्तर प्रदेश में कोविड–19 से भिन्न अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य संचालित की जा रही है।

- 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चें जिन्होने कोविड–19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता–पिता अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है।
- 0 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चें जिन्होने बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चें।
- ऐसे बच्चों को रू0 2500/00 प्रतिमाह दिया जाएगा।
- 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनो अथवा माता पिता में से कोई एक अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है उनकों कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त स्नातक या डिप्लोमा प्राप्त करने मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अर्न्तगत लाभ दिया जाएगा।

स्पॉन्सरशिप योजना.

उद्देश्य : जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक सहायता।

देय लाभ : पात्र बच्चों की प्रतिमाह रूपये 4000/– की धनराशि।

अवधी : न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक।

योजना हेतु पात्रता/शर्तें·

प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप हेतु सांकेतिक मापदंडों के आधार पर अत्याधिक अभाव की स्थिति वाले बच्चों का चयन किया जाएगा, जैसे–आवासीय परिवेश, सामाजिक अभाव और व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू0. 72,000/– एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम रू०. 96,000/– होनी चाहिये।

सभी प्रकार के प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) के लिए पात्रता–

- यदि मां विधवा या तलाकशुदा है या परिवार द्वारा परित्यक्त है।
- यदि बच्चे अनाथ हैं और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
- यदि माता–पिता या उनमें से कोई एक असाध्य/गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित/संक्रमित हैं।
- यदि माता–पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ या अक्षम हैं।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जो बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह, कानून से संघर्षरत्, बाल–तस्करी, एच०आई०वी०/एड्स प्रभावित, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए, बाल वैश्यावृति, बाल–श्रम बाल भिक्षुक या सड़क पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित या उत्पीड़ित या शोषित किये गये एवं जिनके माता–पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं, उनको सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है।

- पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चे।
- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप) के ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु हो गई हो के प्रकरणों में ''परिवार की अधिकतम आय सीमा'' का नियम लागू नहीं होगा वरन् उपरोक्त बच्चों को विधिक रूप से गोद लिये जाने के पश्चात वैध अभिभावक के जीवित होने पर आय सीमा का नियम लागू होगा।
- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की स्पॉन्सरशिप में भी ''परिवार की अधिकतम आय सीमा'' का नियम लागू नहीं होगा।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने पर स्पॉन्सरशिप के लाभार्थियों को उच्च शिक्षा में सहयोग किये जाने हेतु उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में शामिल किया जा सकेगा।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख

- आय प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो), ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू०–72,000/– एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम रू०–96,000/– होनी चाहिये।
- माता–पिता या माता या पिता या अभिभावक (मृत्यु के संदर्भ में मृत्यु प्रमाण पत्र) जैसी भी स्थिति हो, के सुसंगत अभिलेख ।
- शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (0 से 05 वर्ष के बच्चों हेतु लागू नहीं। बच्चों को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कारणों से स्पॉन्सर किये जाने की स्थिति में भी लागू नहीं)।
- बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का आदेश, जिसके द्वारा बच्चे को संस्थागत देख–रेख में आश्रय दिया गया है, प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) हेतु अनुसंशा की गयी हो (जहाँ लागू हो)।
- उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक एवं बच्चे के आधार कार्ड की छायाप्रति।

बच्चे/किशोर का आयु प्रमाण–पत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों तथा उनके अभाव में परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित विद्यालय प्रमाण पत्र जिसमें बच्चें का एस0आर0नं0 एवं जन्मतिथि अंकित हो।

आभार...............

मुश्ताक अहमद
मुख्य कार्यकारी, रोजा संस्थान।

जिला प्रोबेशन अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग, बलरामपुर।

कवच परियोजना
बलरामपुर

1090
Women Power Line

1098
CHILD HELPLINE
24X7

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं

मानव सेवा में समार्पित

"रोजा संस्थान"

पंजीकृत कार्यालय ककरमत्ता (निकट आर्दश बाल विद्यालय रोजा कालोनी)
पोस्ट–बी0एल0डब्लू जनपद–वाराणसी–221004
सम्पर्क नम्बर–9450156972
Email- rosasansthan@gmail.com,Web- www.rosanow.org

5000 प्रति प्रिंट